

बिहार सरकार  
वित्त विभाग

प्रेषक,

सुजाता चतुर्वेदी,  
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव  
सभी विभागाध्यक्ष/सभी नियंत्री पदाधिकारी।  
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 9/10/18

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश ।

महाशय,

सभी नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा विभाग के लिए निर्धारित माँग में व्यय की जाने वाली राशि एवं विभाग से संबंधित प्राप्ति की राशि का उपबंध कराने हेतु बजट प्राक्कलन ससमय दिया जाना अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से आय-व्ययक में योजना एवं गैर योजना के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है ।

बजट प्रावधान उपशीर्ष के अधीन विभिन्न विस्तृत एवं विषय शीर्षों में कर्णांकित किया जाता है। बिहार राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्व घाटे (Revenue Deficit) को शून्य रखा जाना है और राजकोषीय घाटे को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की अधिसीमा तक रखा जाना है। सरकार को व्यय में पूर्ण मितव्ययिता बरतनी है और व्यय प्रस्ताव राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में दी गई सीमाओं के अन्तर्गत रखना है, अतएव प्रस्तावित बजट प्राक्कलन प्रेषित करने के पूर्व विभागीय स्तर पर उसकी अच्छी तरह से समीक्षा कर Need-based प्रस्ताव भेजे जाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में, आय-व्ययक से संबंधित समस्त प्रविष्टि CFMS Software के माध्यम से ही किया जाना है ।

2. सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/ नियंत्री पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे कर्मचारियों की संख्या के संबंध में निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-V) में सूचना देने के अतिरिक्त प्रत्येक उप-शीर्ष के संबंध में दिये गये प्राक्कलन के औचित्य के संबंध में एक आत्मभारित टिप्पणी निम्नांकित सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए दें:-

(क) उपशीर्ष से संबंधित कार्य अथवा स्कीम के उद्देश्य।

(ख) प्रस्तावित कार्यक्रम के समेकित उद्देश्य (Overall Objective) के संबंध में औचित्य।

- (ग) वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा 2019-20 के लिए प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य।
- (घ) उपशीर्ष से संबंधित अथवा स्कीम में वर्तमान में स्वीकृत/कार्यरत प्रत्येक श्रेणी के पद एवं पदों की संख्या का औचित्य।

3. सभी विभागाध्यक्ष एवं नियंत्री पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे वर्तमान की सभी स्कीमों की गहराई से समीक्षा करें, जिससे ऐसी स्कीमों जो वास्तविक उद्देश्य नहीं प्राप्त कर रही हों, को समाप्त किया जा सके अथवा फेज आउट किया जा सके। ऐसी स्कीमों के अन्तर्गत कर्मचारियों की संख्या को कम किया जा सके तथा जहाँ कार्यरत बल अधिक हैं उन्हें अन्यत्र पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किये जाने का प्रस्ताव दिया जाय। प्रशासी विभाग द्वारा विभागवार एवं पदवार तथा वेतनमान के अनुसार कुल स्वीकृत एवं कार्यरत बल की समेकित विवरणी भी उपलब्ध करायी जानी है।

4. बजट प्राक्कलन तैयार करने के संदर्भ में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना होगा:-

i. वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट प्राक्कलन: विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के वास्तविक व्यय एवं अन्य विश्वस्त कारकों को ध्यान में रखकर बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना है। बजट को वास्तविक परक बनाया जाना है। तात्पर्य यह है कि उतनी ही राशि का बजट में प्राक्कलन कराया जाना चाहिए जितनी राशि का व्यय होना संभावित है। किसी भी उपशीर्ष में राशि का प्राक्कलन करने के समय यह देखने की आवश्यकता है कि पूर्व के वर्षों में उस उपशीर्ष में कितनी राशि व्यय हुई है और बचत कितनी हुई है। राशि की बचत नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के आधार पर ही बजट प्राक्कलन उक्त उपशीर्ष में किया जाना है। यहां यह भी ध्यान रखा जाना है कि वर्ष 2019-20 में उपशीर्षवार तथा विस्तृतशीर्षवार एवं विषयशीर्षवार राशि का प्राक्कलन वर्ष 2018-19 को आधार बनाकर नहीं किया जाना है बल्कि वेतनादि मद में कुल वास्तविक कार्यरत बल के अनुसार अनुमानित व्यय के आधार पर तथा गैर वेतनादि मद में राशि का प्राक्कलन पूर्व के तीन वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर औसत व्यय के अनुसार आवश्यकता के आलोक में किया जाना है।

ii. कार्यरत बल के लिए वेतन एवं जीवन यापन भत्ता:-स्थापना के लिए राशि का आकलन कार्यरत बल के आधार पर ही किया जाय। वर्ष के दौरान संभावित नियुक्तियों के लिए पूरक बजट में प्राक्कलन किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वेतन एवं जीवन यापन भत्ता की गणना में वेतन ईकाई वित्त विभागीय संकल्प सं०- 3590, दिनांक- 24.05.2017 द्वारा निर्धारित वेतनमान एवं जीवन यापन भत्ता में होनेवाले अनुमानित व्यय की गणना वेतन ईकाई का 15 प्रतिशत मानते हुए की जानी है। अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मियों के जीवन यापन भत्ता में होने वाले अनुमानित व्यय की गणना अपुनरीक्षित वेतन ईकाई का 165 प्रतिशत मानते हुए

की जानी है। मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं अन्य भत्तों की गणना राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्राक्कलित की जाए। अन्य भत्ते जो कर्मियों/पदाधिकारियों को दिए जाते हैं, उसे 'अन्य भत्ते' नामक विषय शीर्ष में सम्मिलित किया जाना है। स्थापना से भिन्न व्यय को वर्ष 2018-19 के पूर्व के तीन वर्षों के औसत वास्तविक व्यय के स्तर या उससे आवश्यकतानुसार कम से कम पर रखा जाय। अगर किसी कारण से अधिक राशि अपेक्षित है तो उसका विस्तृत औचित्य अभ्युक्ति कॉलम (प्रपत्र-IV) में अवश्य स्पष्ट किया जाय।

iii. परिणाम बजट:- विभाग के अधीन राज्य स्कीम, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम, बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं की राशि एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत जिन परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रस्तावित है, उसका भौतिक लक्ष्य/अन्य मात्रात्मक (Quantifiable) सूचनाओं के साथ 'परिणाम बजट' के रूप में अलग से उपलब्ध कराया जाय। सूचना निर्धारित प्रपत्र-XII में दी जाय।

iv. जेंडर बजट:- जिन परियोजनाओं से महिलाओं को लाभ हो रहा है, उसमें कितनी राशि व्यय होने वाली है, और क्या भौतिक लक्ष्य प्राप्त होगा, उसे स्पष्ट किया जाय (प्रपत्र-XI)। इस संदर्भ में दो श्रेणियों में विवरण उपलब्ध कराए जाएं :-

- (i) वैसी परियोजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत राशि महिलाओं पर व्यय की जा रही है एवं
- (ii) वैसी परियोजनाएं जिसमें 30 प्रतिशत या उससे अधिक राशि महिलाओं पर व्यय की जा रही है।

v. बाल कल्याण संबंधी स्कीम के लिए बजट:- जिन परियोजनाओं में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कल्याण यथा शैक्षिक, स्वास्थ्य, बाल सुरक्षा, पोषाहार आदि पर व्यय किया जा रहा है, ऐसी स्कीमों के संदर्भ में सूचना/आंकड़े विहित प्रपत्र (प्रपत्र-XIII) में उपलब्ध कराये जाएं। साथ ही परियोजनावार भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक व्यय का भी उल्लेख परियोजना की संक्षिप्त जानकारी के साथ दिया जाना आवश्यक है।

vi. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम:- इन स्कीमों के लिए व्यय होने वाली राशि के साथ-साथ प्राप्ति का भी बजट प्राक्कलन दिया जाय। अगर वित्तीय वर्ष 2018-19 अथवा इसके पूर्व के वर्षों में राशि प्राप्त हो गयी है और राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जाना प्रस्तावित है तो प्राप्ति के लिए अलग से बजट प्राक्कलन नहीं देना होगा। उन मामलों में व्यय के बजट प्राक्कलन के अभ्युक्ति कॉलम

(प्रपत्र-IV) में स्पष्ट रूप से दर्ज कर दिया जाए कि राशि किस स्वीकृति आदेश से किस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई है।

vii. राज्य स्कीम:- 2019-20 के लिए योजना एवं विकास विभाग द्वारा निर्धारित उद्व्यय के अनुरूप व्यय का बजट प्राक्कलन दिया जाए और बजट प्राक्कलन देने के समय यह अवश्य देख लिया जाए कि निर्धारित कर्णांकित परियोजनाओं के लिए बजट प्राक्कलन उद्व्यय के अनुरूप कर्णांकित किया गया है अथवा नहीं। कार्य विभागों के माध्यम से जो राशि व्यय की जानी है उसके लिए प्रावधान कार्य विभाग की मांग के अन्तर्गत ही कराया जाए, ताकि संक्षिप्त विपत्र पर अग्रिम निकासी से बचा जा सके। बजट प्राक्कलन विहित प्रपत्रों में कार्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के हस्ताक्षर से भेजा जाना होगा। यदि प्रशासी विभाग द्वारा बजट प्राक्कलन तैयार किया जाता है तो प्रपत्र के बायें भाग में प्रशासी विभाग और दायें भाग में कार्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

viii. नई परियोजनाएँ :- इनके लिए बजट में राशि का उपबंध तभी किया जाय, जब इन पर सक्षम स्तर से स्वीकृति दी गयी हो। चालू योजनाओं को पूर्ण करने के लिए राशि कर्णांकित करने को प्राथमिकता दी जाय।

ix. राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ:- इसमें बजट प्राक्कलन में वैसी राशि जो पिछले वर्षों की बकाया राशि है उसे अलग से अंकित किया जाय और यह भी स्पष्ट किया जाय कि उसमें से कितनी राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त होगी। अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए जो विशेष उपाय किये जाने प्रस्तावित हैं, उनका विवरण एवं प्राप्त होने वाली राशि को अलग से अभ्युक्ति कॉलम (प्राप्तियाँ प्रपत्र-I) में स्पष्ट कर दिया जाय।

x. गाड़ियाँ, दूरभाष, मोबाईल, वर्दीधारी कर्मियों की सूचना:- जिस उपशीर्ष में गाड़ियाँ, दूरभाष, मोबाईल, वर्दीधारी कर्मियों पर व्यय हेतु राशि की आवश्यकता हो, उक्त उपशीर्ष में इसकी सूचना अंकित की जाय (प्रपत्र-X)।

xi. स्वीकृत एवं कार्यरत बल की सूची:- प्रत्येक कोटि के स्वीकृत एवं कार्यरत बल की संख्या संलग्न कर (प्रपत्र-V) भेजी जाय। प्रशासी विभाग के नियंत्राधीन निगम/बोर्ड/वाणिज्यिक संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों/अन्य सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या तथा उनका वेतनादि ब्यौरा संबंधित विवरणी (प्रपत्र-IV/V/VI/VII) में ही दी जाय।

xii. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/वैधानिक निगम/सहकारी संस्थाओं/शैक्षणिक संस्थान/स्थानीय एवं स्वशासी निकायों/अन्य एकल ऋणी के मूलधन एवं सूद का विवरण:- किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/वैधानिक निगम/सहकारी संस्थाओं/शैक्षणिक संस्थान/स्थानीय एवं स्वशासी निकायों/अन्य एकल ऋणी द्वारा लिया गया ऋण, जिसके भुगतान का दायित्व राज्य सरकार का है, के संबंध में उक्त भुगतान किये जाने वाले मूलधन एवं सूद की राशि का विवरण तैयार कर भेजा जाय। (प्रपत्र-III)

xiv. नया उपशीर्ष:- कोई नई परियोजना/स्कीम, जिसके लिए नया उपशीर्ष खोलकर राशि का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है, के संबंध में उपशीर्ष खोलने एवं महालेखाकार(लेखा एवं हक) से सहमति प्राप्त करने की भी कार्रवाई की जाय। महालेखाकार से सहमति प्राप्त होने के बाद ही व्यय किया जा सकता है।

5. महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार पटना द्वारा अर्द्धसरकारी पत्र बुक/एम0सी0ए0 वित्तीय वर्ष 2009-10 (पूरक)-104 दिनांक-02.07.2010 से यह अनुरोध किया गया है कि विभिन्न मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत लघु शीर्ष-800- अन्य व्यय/ अन्य प्राप्ति के अधीन कार्यरत उपशीर्ष में राशि का प्रावधान नहीं किया जाए। वित्तीय वर्ष 2018-19 में लघुशीर्ष-800 अन्य व्यय के अधिकतम उपशीर्षों को समाप्त कर संगत लघुशीर्ष में कर्णांकित करवा दिया गया है। शेष बचे हुए लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय शीर्ष को वर्ष 2019-20 के बजट पुस्तिका में समाप्त कर संगत लघुशीर्ष में प्रावधान करना होगा। इसके लिए पृथक संचिका के माध्यम से प्रस्ताव वित्त विभाग भेजा जाना अपेक्षित है।

प्राप्ति के अन्तर्गत विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्ति के अन्तर्गत कार्यरत उपशीर्ष को किसी अन्य संगत लघु शीर्ष के अन्तर्गत कर्णांकित किया जाना होगा। इसके लिए अलग से प्रस्ताव पृथक संचिका में भेज दिया जाए।

6. वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में व्यय:- वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 चौदहवें वित्त आयोग का कार्यकाल है।

अतः वर्ष 2019-20 में 14वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के आलोक में निम्नवत बजट प्रावधान किया जाना है:-

(i) आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में SDRF मद में केन्द्रांश 427.50 करोड़ रुपये एवं राज्यांश 142.50 करोड़ रुपये सहित कुल 570.00 करोड़ रु0 का प्रावधान कराया जाना अपेक्षित है जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन प्रभाग के पत्र संख्या-33-4/2015-NDM-I दिनांक-20.03.2015 के आलोक में सूचित किया गया है।

(ii) पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रांश की Basic Grant के रूप में 5674.70 करोड़ रु० तथा Performance Grant के रूप में 693.55 करोड़ रु० का प्रावधान कराया जाना अपेक्षित है।

(iii) नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रांश की Basic Grant के रूप में कुल 642.28 करोड़ रु० तथा Performance Grant के रूप में 176.62 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया जाना अपेक्षित है।

7. पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिए जाने वाले Devolution एवं Grant का आधार वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय की जाने वाली कुल वास्तविक राशि का 2.75 प्रतिशत होगा। Devolution की राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त होने वाली राज्य के अपने निवल कर राजस्व का 8.5 प्रतिशत होगा। पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को कुल हस्तांतरित होने वाली राशि का अंतर विभाजन 70:30 के अनुपात में किया जाएगा। वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध होने में अभी काफी समय है इसलिए वर्ष 2018-19 के लिए औपबधिक रूप से वर्ष 2017-18 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर गणना की जा रही है। इसके आधार पर वर्ष 2019-20 में वर्ष 2017-18 का कुल वास्तविक व्यय 136427.02 करोड़ रु. का 2.75 प्रतिशत अर्थात् 3751.74 करोड़ रूपए Devolution एवं Grant के रूप में कुल स्थानीय निकायों को अनुदान स्वरूप दी जाएगी। वर्ष 2017-18 में राज्य के अपने कर राजस्व में कुल निवल प्राप्ति 22337.55 करोड़ रूपए का 8.5 प्रतिशत अर्थात् 1898.69 करोड़ रूपए Devolution के रूप में तथा 1853.05 करोड़ रूपए Grant के रूप में स्थानीय निकायों को वर्ष 2019-20 में औपबधिक रूप से देय होगा। वर्ष 2019-20 में कुल 3751.74 करोड़ रूपए में 2626.22 करोड़ रूपए पंचायती राज संस्थाओं को तथा 1125.52 करोड़ रूपए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान के रूप में दिया जाना है, जिसके लिए बजट प्रावधान संबंधित प्रशासी विभाग को कराना होगा।

8. विपत्र कोड:- प्रत्येक उपशीर्ष के लिए निर्धारित विपत्र कोड का इस्तेमाल बजट प्राक्कलन में अवश्य अंकित किया जाय।

9. PFMS कोड:-भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम तथा राज्य स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप दी जाने वाली केन्द्रांश की राशि से संबंधित परियोजनाओं के लिए एक कोड निर्धारित किया गया है। इन स्कीमों में केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि अलग-अलग कर्णांकित होती है। महालेखाकार कार्यालय की यह अपेक्षा है

कि उक्त स्कीमों के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में किये जा रहे बजट प्रावधान से संबंधित उपशीर्ष में स्कीम कोड ( PFMS CODE) एवं परियोजनाओं में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात अंकित किया जाए। वित्तीय वर्ष 2019-20 की बजट पुस्तिका में इन उपशीर्षों के नीचे PFMS कोड तथा केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात अंकित किया जायेगा, जिसके लिए CFMS सॉफ्टवेयर में व्यवस्था की गयी है। कोड की जानकारी विभाग को उपलब्ध नहीं होने पर इसकी सूचना वित्त विभाग के बजट शाखा से प्राप्त की जा सकती है। विभाग को उपरोक्त वर्णित स्कीम की प्रत्येक परियोजना के केन्द्रांश एवं राज्यांश के उपशीर्षों में कोड एवं केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात अंकित करना सुनिश्चित किया जाना होगा एवं इन स्कीमों के लिए प्राप्त होनेवाली राशि का प्रावधान बजट की प्राप्ति पुस्तिका के जिस उपशीर्ष में अंकित होता है उसमें भी कोड दिया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।

10. सहायक अनुदान मद में कर्णांकित राशि को निम्नांकित विषय शीर्ष के अंतर्गत कर्णांकित किया जाता है :-

विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष कोड	विवरण
1. 3104	सहायक अनुदान - वेतन
2. 3105	सहायक अनुदान - परिसंपत्तियों का निर्माण
3. 3106	सहायक अनुदान - वेतनादि के अलावा/गैर वेतन

अतः प्रशासी विभाग/नियंत्री पदाधिकारी सहायक अनुदान में अनुदानित राशि उपरोक्त विषय शीर्ष के तहत कर्णांकित करते हुए राशि के प्रावधान का प्रस्ताव दें। विभिन्न संस्थाओं, निकायों आदि को सहायक अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि का आवश्यकता से अधिक उपबंध कराया जा रहा है। इसलिए दी गयी राशि उसी वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं हो पाती है, और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करने में विलंब होता है। परिणामस्वरूप अगला सहायक अनुदान का भुगतान संभव नहीं हो पाता है। इसलिए यदि सहायक अनुदान की विमुक्ति नियमित रूप से प्रतिवर्ष की जानी है तो जरूरत के अनुसार ही सहायक अनुदान का बजट उपबंध कराया जाय। स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान के अतिरिक्त किसी अन्य मद में बजट उपबंध नहीं कराया जाए। इसी प्रकार विस्तृत शीर्ष 28 - व्यवसायिक सेवाएँ को चार विषय शीर्षों में विभक्त किया गया है जो निम्नलिखित हैं:-

28 - व्यवसायिक सेवाएँ

02. संविदा सेवायें

03 कन्सलटेन्सी

04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ

05 परीक्षा संबंधी व्यय

इसी के अनुरूप व्यावसायिक सेवाओं में वर्ष 2019-20 का बजट प्राक्कलन भेजा जाना होगा।

11. **आर्थिक सर्वेक्षण:**—वर्ष 2018-19 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF), पटना द्वारा किया जा रहा है। आगामी बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का उपस्थापन विधान मंडल में किया जाना है। अतएव इससे संबंधित सूचनाएँ/ आँकड़े वित्त विभाग तथा लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र, पटना को प्रेषित किये जायें। लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र से जो सूचनायें एवं विवरणी की माँग की जाए उसे निर्धारित समय के अन्दर अवश्य उपलब्ध करायी जाए।

12. बजट निर्माण में स्कीमों के लिए राशि का उपबंध सही विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष में किया जाना चाहिए। वर्तमान CFMS Software में Bill Type (BTC Bill Form) की मैपिंग विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष के अनुसार की गयी है। गलत विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष में राशि बजट उपबंध कराने से कोषागार से राशि की निकासी में समस्या खड़ी हो जाएगी। इस संबंध में सभी विभागों के साथ अगल-अलग बैठक कर स्कीम के लिए व्यय की प्रकृति एवं फंड प्रवाह के अनुरूप विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष एवं बिल टाईप निर्धारित किया गया है, उसी के अनुरूप विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष का चयन कर राशि का उपबंध कराया जाय। वैसी परियोजना जिसका क्रियान्वयन सरकारी कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों/सोसाइटी के माध्यम से कराया जाता है उन परियोजनाओं में व्यय होने वाली राशि का बजट उपबंध सहायक अनुदान के रूप में नहीं कराया जाए। सुलभ प्रसंग हेतु प्राप्ति एवं व्यय की विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष की सूची संलग्न है।

स्थानीय निकायों के लिए बजट उपबंध मात्र सहायक अनुदान (3104, 3105, 3106) के रूप में कराया जाए। यदि सरकार द्वारा किसी लाभुकों को नगद राशि उपलब्ध करा देने मात्र से लोकधन का व्यय पूर्ण हो जाता है जैसे सामाजिक सुरक्षा के स्कीम, आपदा राहत, सब्सिडी आदि, तो ऐसी राशि का उपबंध सहायक अनुदान के रूप में नहीं किया जाए, बल्कि इसके लिए निर्धारित विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष में बजट उपबंध कराया जाय।

### **वित्तीय वर्ष 2018-19 का पुनरीक्षित प्राक्कलन :**

13. **प्रत्यर्पण:**—प्रशासी विभाग सुनिश्चित करे कि जिस उपशीर्ष में उपबंधित राशि की आवश्यकता नहीं है, अथवा राज्य स्कीम के परिवर्तन के फलस्वरूप मदों में प्रावधानित राशि की आवश्यकता नहीं है, ऐसी राशि को प्रत्यर्पित किया जाय, ताकि पुनरीक्षित प्राक्कलन वास्तविक परक हो सके। वर्ष 2018-19 के पुनरीक्षित प्राक्कलन के आँकड़े भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक आदि के द्वारा व्यवहार में लाये जाते हैं और यदि उनमें अंकित आँकड़े वास्तविकता से परे होते हैं, तो राज्य सरकार की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

14. **राज्य स्कीम :-** वार्षिक स्कीम 2018-19 के पुनरीक्षित प्राक्कलन का आधार योजना एवं विकास विभाग द्वारा विभागों के लिए निर्धारित स्कीम उद्व्यय है। अतः उक्त आधार पर पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रेषित किया जाय।

15. **राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ:**— वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्तियों/पूंजीगत प्राप्तियों के लिए जो राशि बजट में अनुमानित की गयी है, अगर उतनी राशि प्राप्त होनी संभावित नहीं हो अथवा बढ़ोत्तरी संभावित हो, तो संशोधित अनुमान विभागों द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन में दिया जाना होगा।



वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट प्राक्कलन एवं वर्ष 2018-19 का पुनरीक्षित प्राक्कलन भेजना -


16. **प्राक्कलन भेजने की निर्धारित तिथि :-** स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय जो पूर्व में गैर योजना व्यय के रूप में जाने जाते थे, कार्य विभागों का निर्माण बजट एवं राजस्व प्राप्ति प्राक्कलन 30 अक्टूबर, 2018 तक और राज्य स्कीम, केन्द्र प्रायोजित स्कीम एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के बजट प्राक्कलनों को 15 नवम्बर, 2018 तक भेजना सुनिश्चित किया जाय। योजना एवं विकास विभाग द्वारा विभागवार उद्व्यय निर्धारित करने के उपरांत राज्य स्कीम केन्द्र प्रायोजित स्कीम, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम एवं बाह्य संपोषित परियोजनाओं का बजट प्राक्कलन वित्त विभाग में भेजा जाना होगा।

17. **प्राक्कलन प्रति का प्रेषण:-** बजट प्राक्कलन सीधे डाटा बेस के माध्यम से तैयार किया जाय। विहित प्रपत्र-IV (व्यय), प्रपत्र-V में उपशीर्ष से संबंधित स्वीकृत एवं कार्यरत बल का विवरण ऑनलाईन **CFMS** की site <https://e-nidhi.bihar.gov.in> पर विभागों द्वारा भरा जाना है। वित्त विभाग को भेजे जाने वाले हार्ड कॉपी में यह स्पष्ट किया जाए कि उपरोक्त प्रपत्र **CFMS** की site पर किस तिथि को लोड किया गया। बजट प्राक्कलन की एक प्रति वित्त विभाग, दो प्रति महालेखाकार (लेखा एवं हक) एवं एक प्रति प्रशासी विभाग को निर्धारित तिथि तक भेजी जाय। बजट प्राक्कलन हेतु विहित प्रपत्र संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। अतिरिक्त अपेक्षित प्रतियाँ वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रिंट अथवा छायाप्रति कराकर इस्तेमाल किया जा सकता है। विहित प्रपत्रों की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0) एक्सेल सीट (Excel Sheet) में भरकर वित्त विभाग को भेजी जानी होगी। **प्राप्ति एवं व्यय के प्राक्कलन के साथ-साथ Annexure-V,VI,VIII & X(A) भरा जाना अपेक्षित है।**

सभी विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से समस्त वांछित सूचनाएँ प्राप्तकर विभागीय मुख्यालय स्तर पर समेकित कर लें, जिससे नये CFMS Software में ससमय सूचना की प्रविष्टि में विलम्ब ना हो। CFMS Software में Online प्रविष्टि हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना अलग से दी जायेगी।

अनुरोध है कि निर्धारित समय सीमा के अनुसार बजट प्राक्कलन तैयार कर विहित निर्धारित प्रपत्रों एवं जॉच-पत्रक (परिशिष्ट-I एवं परिशिष्ट-II), जो इस पत्र के साथ संलग्न किये गये हैं, में अपेक्षित सूचनाएँ एवं आंकड़ों को भरवाकर सत्यापन करते हुए वित्त विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- यथाउपर्युक्त।

विश्वासभाजन  
  
(सुजाता चतुर्वेदी)  
प्रधान सचिव।

## परिशिष्ट-1

### नियंत्री पदाधिकारियों के प्रथम संस्करण बजट (2019-20) जांच-पत्रक

क्रम संख्या	विषय-बिन्दु	नियंत्री पदाधिकारियों के मन्तव्य (हां या ना)
1.	क्या आय-व्ययक प्राक्कलन प्रपत्र-1 प्राप्ति के वास्तविकी स्तम्भ (3,4,5,6,7,8,9 एवं 10) यथोचित रूप से भरे गये हैं ?	
2.	क्या नियंत्रण पदाधिकारियों द्वारा आय-व्ययक प्राक्कलन प्रपत्र-IV व्यय तैयार किया गया, पुनरीक्षित एवं बजट प्राक्कलन, प्रपत्र के स्तम्भ 9 एवं 11 में राशि अंकन करने के समय वेतन एवं जीवन यापन भत्ते के साथ अन्य मदों के लिए राशि को हजार में कर दिया गया है ?	
3.	क्या प्रत्येक उप-शीर्ष के अन्तर्गत वृद्धि अथवा कमी के लिये स्पष्टीकरण अभ्युक्ति स्तम्भ में दे दिया गया है तथा सुसंगत सरकारी आदेश जहाँ जरूरत है, उद्धृत किया गया है?	
4.	क्या नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा स्थापना के लिए राशि कार्यरत बल के आधार पर आकलन किया गया है? क्या विस्तृत सूचना प्रपत्र-IV एवं V में अंकित कर दिया गया है?	
5.	क्या व्यय के पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाने में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में किये गये उपबंध, पुनर्विनियोग, ऐसे स्वीकृत स्कीमों को जिसका उपबंध द्वितीय/तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में होना प्रस्तावित है उसे सम्मिलित कर प्रस्ताव दिया गया है?	
6.	क्या पुनरीक्षित एवं बजट प्राक्कलन दिये गये मार्गदर्शन एवं योजना एवं विकास विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक स्कीम उद्ध्यय की अधिसीमा के अन्तर्गत तैयार किया गया है?	
7.	क्या राज्य स्कीम के लिये अलग प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है?	
8.	क्या केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के लिए अलग-अलग प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है? क्या इनके लिए प्राप्ति बजट भी तैयार कर दिया गया है?	
9.	क्या नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा यथानिर्मित प्रथम संस्करण प्राक्कलन पूर्णतया स्थायी खर्चों पर आधारित है और अथवा जिसमें सरकार की अनुमति पहले से ही प्राप्त है अर्थात् इन प्राक्कलनों में वार्षिक आधार पर चलने वाली ऐसी कोई नई अथवा अस्थायी योजना समाविष्ट नहीं है ?	

10. क्या पुनरीक्षित एवं बजट की प्राप्तियाँ एवं व्यय की घट-बढ़ के लिये पूर्ण स्पष्टीकरण एक अलग टिप्पणी में दिया गया है?
11. क्या नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा तैयार किया गया बजट प्राक्कलन के संलग्न प्रपत्र XII में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य/परिणाम का विवरण अंकित कर दिया गया है?
12. क्या नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा तैयार किया गया बजट प्राक्कलन के संलग्न प्रपत्र XI में जेंडर बजट के संदर्भ में परियोजनाओं, कार्यक्रम एवं प्रावधान किये जाने वाली राशि का विवरण अंकित कर दिया गया है?
13. क्या नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा तैयार किया गया बजट प्राक्कलन के संलग्न प्रपत्र XIII में बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट के संदर्भ में परियोजनाओं/कार्यक्रमों के विरुद्ध प्रावधान किये जाने वाली राशि का विवरण अंकित कर दिया गया है?

**नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर**  
**नियंत्री पदाधिकारी का पदनाम :-**  
**दिनांक .....**

परिशिष्ट-1।

विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्षों की सूची :-

Old		New		
विषय शीर्ष	विस्तृत शीर्ष (Detailed Head)	विषय शीर्ष (Object Head)	मद का नाम	
00-00	उपशीर्ष में प्रावधानित राशि			
01-01	वेतन	01-वेतन	01	वेतन
01-02	विशेष वेतन		02	विशेष वेतन
01-03	जीवन यापन भत्ता		03	जीवन यापन भत्ता
01-04	मकान किराया भत्ता		04	मकान किराया भत्ता
01-05	परिवहन भत्ता		05	परिवहन भत्ता
01-06	चिकित्सा भत्ता		06	चिकित्सा भत्ता
01-07	अन्य भत्ता		07	अन्य भत्ता
01-08	त्योहार अग्रिम		08	त्योहार अग्रिम
02-01	मजदूरी		02-मजदूरी	01
04-01	पेंशन	04-पेंशन संबंधी प्रभार	01	पेंशन/औपबंधिक पेंशन
			02	विलोपित
04-03	पारिवारिक पेंशन		03	पारिवारिक पेंशन
04-04	उपादान		04	उपादान
04-05	रूपान्तरित मूल्य		05	रूपान्तरित मूल्य
04-06	छुट्टी नगदीकरण		06	छुट्टी नगदीकरण
05-01	पुरस्कार	05-पुरस्कार	01	पुरस्कार
06-01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति
11-01	यात्रा व्यय	11-यात्रा व्यय	01	यात्रा व्यय
13-01	कार्यालय व्यय	13- कार्यालय व्यय	01	कार्यालय व्यय
13-02	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव		02	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव
13-03	दूरभाष		03	दूरभाष
13-04	विद्युत प्रभार		04	विद्युत प्रभार
13-05	विधि प्रभार		05	विधि प्रभार
13-06	वर्दी/पोशाक		06	वर्दी/पोशाक
13-07	विद्युत प्रभार-डी0पी0एस0		07	विद्युत प्रभार-डी0पी0एस0
			08	हथालन व्यय
		09	कमिशन	
		10	भाड़े की गाड़ी का भुगतान	
14-01	किराया महसूल एवं कर	14- किराया दरें और कर	01	किराया महसूल एवं कर
15-01	रायल्टी	15-रायल्टी	01	रायल्टी
16-01	प्रकाशन एवं मुद्रण	16-प्रकाशन	01	प्रकाशन एवं मुद्रण

20-01	आतिथ्य व्यय	20- अन्य प्रशासनिक व्यय	01	आतिथ्य व्यय
20-02	कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार		02	कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार
20-03	प्रशिक्षण व्यय		03	प्रशिक्षण व्यय
21-01	सामग्री एवं पूर्तियां	21- सामग्री और आपूर्ति	01	सामग्री एवं पूर्तियां
21-02	दवा भण्डार		02	दवा भण्डार
21-03	आहार/ पथ्य		03	आहार/ पथ्य
22-01	शस्त्र और गोला-बारुद	22- शस्त्र और गोला बारुद	01	शस्त्र और गोला-बारुद
23-01	राशन की लागत	23- राशन की लागत	01	राशन की लागत
24-01	पीओएल	24- पी.ओ.एल.	01	पीओएल
26-01	विज्ञापन और प्रकाशन	26- विज्ञापन और प्रकाशन	01	विज्ञापन और प्रकाशन
27-01	लघु कार्य	27- लघु कार्य	01	लघु कार्य
27-02	अनुरक्षण एवं मरम्मत		02	अनुरक्षण एवं मरम्मत
28-01	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	28- व्यावसायिक सेवाएँ	02	संविदा सेवाएँ
			03	कन्सल्टेन्सी
			04	व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ
			05	परीक्षा संबंधी व्यय
31-01	सहायक अनुदान	31- सहायता अनुदान		
31-02	अनुग्रह अनुदान			
31-03	विवेकानुदान			
31-04	सहायक अनुदान-वेतन		04	सहायक अनुदान-वेतन
31-05	सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण		05	सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण
31-06	सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा		06	सहायक अनुदान-गैर वेतन
32-01	अंशदान	32- अंशदान	01	अंशदान
33-01	सब्सिडी	33- सब्सिडी	01	सब्सिडी
33-02	मुआवजा		02	मुआवजा
34-01	छात्रवृत्ति/वजीफा	34- छात्रवृत्ति/वजीफा	01	छात्रवृत्ति/वजीफा
		35- राहत	01	नगद/ वस्तु
		36-विवेकानुदान	01	विवेकानुदान
		37-अनुग्रह अनुदान	01	अनुग्रह अनुदान
41-01	गुप्त सेवा व्यय	41- गुप्त सेवा व्यय	01	गुप्त सेवा व्यय
42-01	एकमुश्त प्रावधान			
44-01	विनियम संबंधी विभिन्नायें	44- विनियम संबंधी विभिन्नायें	01	विनियम संबंधी विभिन्नायें
45-01	ब्याज	45 ब्याज	01	ब्याज
		46- कर/शुल्क का अंश	01	कर/शुल्क का अंश (लोकल बॉडीज को कर/शुल्क का अंशदान)
50-01	अन्य प्रभार			
51-01	मोटर गाड़ी	51- मोटर वाहन	01	मोटर गाड़ी- कार्यालय
52-01	मशीनें एवं उपस्कर	52- मशीनें एवं उपस्कर	01	मशीनें एवं उपस्कर- कार्यालय
			02	मशीनें एवं उपस्कर- अन्य

53-01	मुख्य निर्माण कार्य	53- मुख्य निर्माण कार्य	01	मुख्य निर्माण कार्य
53-02	भू-अर्जन		02	भू-अर्जन
54-01	निवेश	54- निवेश	01	निवेश
55-01	ऋण एवं अग्रिम	55- ऋण एवं अग्रिम	01	ऋण एवं अग्रिम
56-01	उधार की वापसी	56- उधार की वापसी	01	उधार की वापसी
60-01	अन्य पूंजीगत व्यय	60- अन्य पूंजीगत व्यय	01	अन्य पूंजीगत व्यय
61-01	मूल्य हास	61- मूल्य हास	01	मूल्य हास
62-01	आरक्षित निधियां	62- आरक्षित निधियां	01	आरक्षित निधियां
63-01	अंतः लेखा अंतरण	63- अंतः लेखा अंतरण	01	अंतः लेखा अंतरण
64-01	बट्टा खाता/ हानियां	64- बट्टा खाता/ हानियां	01	बट्टा खाता/ हानियां
70-01	व्यय में कमी	70- व्यय में कमी	01	व्यय में कमी

**प्राप्तियां (Receipts)**

विस्तृत शीर्ष (Detailed Head)	विषय शीर्ष (Object Head)
00-प्राप्तियां	01-कर
	02-केन्द्रीय करों में हिस्सा
	03-शुल्क
	04-अधिभार
	05-किराया
	06-अर्धदण्ड/ समापहरण/ श्रास्तियां/ जब्ती
	07-ब्याज प्राप्तियां
	08-उपकर
	09-रॉयल्टी
	10-वसूलियां
	11-अनुदान/ अंशदान
	12-प्रतिपूर्ति/ केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान
	13-प्रतिपूर्ति/ अन्य संस्थाओं से सहायता अनुदान
	14-निबंधन शुल्क
	15-साइसेंस शुल्क
	16-सेवा शुल्क
	17-द्यूतन शुल्क
	18-अस्पताल शुल्क
	19-उगाही
	20-साभांश/ लाभ
	21-वापसियां
	22-विक्रय आगम
	23-जल दर
	24-पय कर
	25-ऋण
	26-लेखन सामग्री प्राप्तियां
	27-पट्टा किराया/ सलामी
	28-सम्बिद्धी

	29-प्रीमियम
	30-सुरक्षा जमा राशि
	31-अन्य प्राप्तियां
	32-अन्य शुल्क
	33- त्रुटि/भूलदश आधिक्य
	34- निर्यात
	35-डीम्ड निर्यात
	36-अपेक्षित मूल्यांकन
	37- अपील हेतु पूर्व जमा ।
	38- अन्वेषण के दौरान शुल्क भुगतान/वापसी
	39- दूतावास द्वारा क्रय
	40- परिवर्तित शुल्क संरचना के कारण संकलित क्रेडिट वापसी
	41- वार्षिक या मात्रात्मक प्रोत्साहन
	42- अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों हेतु कर वापसी
	43- अन्य



# ANNEXURE-I

## ESTIMATE OF RECEIPTS

Department: .....

Major Head: .....

Minor Head: .....

Submajor Head: .....

Subhead: .....

(In Rupees)

Object Head Code	Object Code Description	Actuals			B.E. Current Year	Actuals		R.F. Current year		B.E. Ensuing year		Remarks
		Preceding Year - III	Preceding Year - II	Preceding Year - I		Up to Ist six Month of preceding year-I	Up to Ist six Month of current year	Proposed by Controlling officer	Revised Proposal by Administrative dept.	Proposed by Controlling officer	Revised Proposal by Administrative dept.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Signature and Designation of Controlling Officer  
Date:-

## ANNEXURE-1A

### REVISED ESTIMATE AND BUDGET ESTIMATE FOR LOANS RECOVERY. PROFORMA SHOWING DETAILS OF RECOVERIES OF LOANS

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT : (AUTO POPULATED)      SAO/DDO : (AUTO POPULATED)  
Head Of Account: (Auto Populated)      example : 12-2054001010004      (In Rupees.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Object Head	Outstanding as on 1.4.2017	Recovery fall due during 2017-18	Total recovery due in 2017-18 (2+3)	Recovery made during 2017-18	Outstanding as on 1.4.2018 (4-5)	Recovery fall due/likely to fall due during 2018-19	Total amount due for recovery during 2018-19 (6+7)	Recovery made till end of September, 2018	Revised estimate for recovery during 2018-19 including col.9	Budget Estimate for 2019-20
0010										
0021										
Total										

Signature and Designation of Controlling Officer  
Date:-





**ANNEXURE - IV**  
**(RULE 35(E))**

**BUDGET YEAR : .....**

**(IN RUPEES)**

**STATEMENT OF EXPENDITURE PROPOSALS FOR BUDGET DISCUSSION (ANNUAL SCHEME & ESTABLISHMENT AND COMMITTED)**

Dept. Name/ Appropriation Name: ..... Group Head: ..... Major Head: ..... Submajor Head: .....  
Demand No/ Appropriation No: ..... Minor Head: ..... Subhead: ..... Bill Code: .....

Object Head Code	Object Code Description	Preceding Year - III	Actuals			B.E. Current Year	Actuals		R.E. Current year		B.E. Ensuing year		Remarks
			Preceding Year - II	Preceding Year - I	Up to 1st six Months of preceding year		Up to 1st six Months of current year	Proposed by Controlling officer	Revised Proposal by Administrative dept.	Proposed by Controlling officer	Revised Proposal by Administrative dept.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0101	(a) Pay of Officers/ Emp.												
	Pay												
	(b) Other												
0501	Award												
	Medical												
0601	reimbursement												
1101	Travelling Expenses												
1301	Office expenses												
	Others												
	<b>Grand Total</b>												

**Notes:**

1. Separate forms shall be filled for each Sub Head / Bill code.
2. Separate forms shall be filled for establishment & committed expenditure, State Scheme, Centrally Sponsored Schemes (CSS) and Central Sector Scheme.
3. "Voted" and "Charged" Items should be shown separately.

Signature and Designation of Controlling Officer  
Date:-

**ANNEXURE - V**  
**BUDGET YEAR : 2019-2020**

**DETAILS OF POSTS / NOMENCLATURE - DETAILS OF SANCTION AND WORKING STRENGTH STATEMENT**  
**ADMINISTRATIVE DEPARTMENT - (AUTO POPULATED)**      **SAO/DDO : (AUTO POPULATED)**  
**Demand No/ Appropriation No:12**      **Submajor Head:00**  
**Major Head : 2052**      **Subhead:0006**  
**Minor Head: 090**      **Subhead:0006**

SI No	Classification of Posts (Group-A, B, C, D)	Designation	Preceding Year		Current Year		Difference (7-5)	Pay Band/Pay Scale	Grade Pay/Level	Pay	Special Pay	D.A	HRA	TA	MA	OA	Total	Remarks
			Total Sanction Post	Total Working Post	Total Sanctioned Posts up to 1st Sept of Current Year	Total working Post up to 1st Sept of Current Year												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Total																	

TA - Travelling Allowance MA - Medical Allowance  
 Note: 1. Separate forms shall be filed for each sub-head.  
 2. Void and Inoperative if not signed.

Signature and Designation of Controlling Officer  
Date:-

**ANNEXURE-VI**

**DEPARTMENT-WISE INFORMATION ON CONTRACTUAL EMPLOYEES AS ON DATE .....**

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT : (AUTO POPULATED)

SAO/DDO : (AUTO POPULATED)

Head Of Account : (Auto Populated)

(Amount in Rupees.)

Sl. No.	Name of Office / Establishment	Name of the Post(s)	Number of Post(s)	G.O. No. & Date in which post(s) has been created	Mode of Engagement of Date		Prescribed contractual remuneration	Scale of Pay of the post	Remarks
					Direct Engagement	Engagement through service provider / agency			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Total</b>									

Signature and Designation of Controlling Officer  
Date: .....

**ANNEXURE - VII**  
**ESTIMATES OF GRANTS-IN-AID**  
**ADMINISTRATIVE DEPARTMENT : (AUTO POPULATED)**  
**HEAD OF ACCOUNT-**

(In Rupees.)

S. No.	Name of Organisation	Teaching/Non-Teaching Posts	Scale of Pay	Total sanctioned and approved strength	No. of Vacancies as on 1.3.2018	Sharing pattern by State Govt.	RE for 2018-19	Estimate of current salary for 2019-20						Arrears salary if any; give the particulars	Total estimate for 2019-20 (11+12)
								Pay	DA	HRA	MA	OA	Total (6 to 10)		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Total</b>															

Signature and Designation of Controlling Officer  
Date:-

**Notes:-**

- For salaries drawn under direct payment system information in respect of Colleges, Secondary Schools and Primary Schools be furnished in separate statements. The information for Secondary Schools and Primary Schools be furnished in separate statements.
- In regard to grant-in-aid to meet the share up to a particular limit similar information may be furnished in separate statements.
- The U.D. & H Department need furnish similar information in respect each U.L. Bs provided with grants-in-aid under Deanship Allowance.
- Panchayat Raj Department shall furnish in respect of the posts for which Govt. provides Grants-in-aid.
- Agriculture Dept./Industry Dept./H & FW Dept. and other Departments providing Grants-in-aid for salary are also to furnish.



**ANNEXURE - VIII**  
**Information on Work-charged,**

**ADMINISTRATIVE DEPARTMENT : (AUTO POPULATED)**  
**Head Of Account : (Auto Populated)**

**SAO/DDO : (AUTO POPULATED)**

Category of Employee (Group - A, B, C and D)	Scale of Pay in case of regular appointment	Consolidated remuneration on adhoc appointment	Sanctioned Strength	No. of Employee in position as on 01.03.18	Post abolished after 01.03.18	New addition after 01.03.18	Present Strength (5 + 6 + 7)	Budget Provision for salary/wages during 2018-19 (Head of account wise)	Budget Provision proposed for 2019-20 (Head of account wise)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>Total</b>									

Signature and Designation of Controlling Officer  
Date:-

**ANNEXURE - IX**

**UNSPENT BALANCE OF GRANT / LOAN SANCTIONED IN 2018-19**

**ADMINISTRATIVE DEPARTMENT (Autopopulate)**

**Head of Account (Auto Populate)**

(In Rupees.)

Sl. No.	Name of the Organisation	Amount of Loan/Grant sanctioned in 2018-19	Amount Utilised till 31.08.2018	Amount for which U.C. Submitted till 31.08.2018	Balance to be Submitted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total</b>					

Signature and Designation of Controlling Officer  
Date:-

**ANNEXURE - X**

**(NUMBER OF VEHICLES/ITEMS)**

**ADMINISTRATIVE DEPARTMENT : (AUTO POPULATED)**

**Head Of Account: (Auto Populated)**

Category of Vehicles/Items	No. of Vehicles/Items	Remarks
(1)	(2)	(3)
Two wheeler - Without Fuel		
Two wheeler - With Fuel		
Four wheeler - MUUV		
Four wheeler - SUV		
Heavy Vehicle		
Telephones		
Mobile		
Fax		
Data Card		
Computer		
Computer Accessories		
No. of Employees eligible for Uniforms		
Other		
Total		

Signature and Designation of Controlling Officer  
Date:-



**ANNEXURE-XII**  
**PROFORMA FOR OUTCOME BUDGET**

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT.....  
Demand No.....

(Rs. in lac)

Sl. No.	Head of Account	Nature of Scheme	Name of Program	2019-2020 (R.E.)			Outcome (Description)
				Central Share	State Share	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8

Signature & Designation of Controlling officer

Date

